विदेशी निवेशकों को राहत, 50,000 करोड़ तक के निवेश पर नहीं करना होगा अतिरिक्त खुलासा

मुंबई। बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को राहत देते हुए विस्तृत खुलासे के लिए निवेश सीमा को 25,000 करोड़ से दोगुना कर 50,000 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसका मकसद अपरिवर्तित रहने वाले शेयरधारिता नियमों में संशोधन न करते हुए भी बदलते बाजार की गतिशीलता का ध्यान रखना है। इस कदम से भारतीय बाजारों में 50,000 करोड़ से अधिक प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) वाले एफपीआई को अपने सभी निवेशकों या हितधारकों के विस्तृत विवरण का खुलासा करना होगा। फिलहाल 25,000 करोड़ से अधिक के निवेश पर ऐसा करना जरूरी है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने निदेशक मंडल की बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, वित्त वर्ष 2022-23 और 2024-25 के दौरान नकद इक्विटी बाजारों में कारोबार की मात्रा दोगुनी से अधिक हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए लागू सीमा को बढ़ाकर 50,000 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

अगस्त, 2023 में सेबी ने भारतीय इक्विटी बाजारों में 25,000 करोड़ से अधिक की कुल हिस्सेदारी रखने वाले एफपीआई को स्वामित्व, आर्थिक हित या नियंत्रण रखने वाली सभी इकाइयों की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया था। एजेंसी

नए चेयरमैन की अगुवाई में बोर्ड की पहली बैठक

तुहिन कांत पांडेय

सात कृषि उत्पादों में डेरिवेटिव कारोबार पर रोक एक साल बढ़ी

सेबी ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सात कृषि वस्तुओं में डेरिवेटिव कारोबार पर लगी रोक को एक साल के लिए मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया। इन वस्तुओं में गेहूं, मूंग, धान (गैर-बासमती), चना, कच्चा पाम तेल, सरसों के बीज व इसके डेरिवेटिव और सोयाबीन व इसके डेरिवेटिव शामिल हैं।

- सेबी ने सबसे पहले 19 दिसंबर, 2021 को 20 दिसंबर 2022 तक के लिए रोक लगाई थी।

हितों के टकराव की समीक्षा के लिए बनेगी समिति

सेबी ने बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों के हितों के टकराव, संपत्ति, निवेश एवं देनदारियों से संबंधित खुलासे की समीक्षा के लिए सोमवार को एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया। इसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाने के साथ जवाबदेही, नैतिक आचरण के उच्च मानक सुनिश्चित करना है। समिति को गठन की तारीख से तीन महीने के भीतर सिफारिशें देनी होंगी, जिसे सेबी के निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

- नियामक ने यह कदम अदाणी मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ लगाए गए हितों के टकराव के आरोपों की पृष्ठभूमि में उठाया है।

ग्राहकों से एक साल तक अग्रिम शुल्क लेने की मंजूरी

निवेश सलाहकार (आईए) और शोध विश्लेषक (आरए) ग्राहकों की सहमति से उनसे एक साल तक अग्रिम शुल्क ले सकेंगे। मौजूदा नियमों के तहत आईए दो तिमाहियों और आरए एक तिमाही तक अग्रिम शुल्क ले सकते हैं। चेयरमैन ने कहा, शुल्क संबंधी कुछ प्रावधानों पर चिंताएं बनी हुई थीं, जो आईए और आरए को अग्रिम शुल्क लेने को छह या तीन माह तक सीमित करती हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए बोर्ड ने फैसला किया कि ग्राहक सहमत हो, तो आईए और आरए एक साल तक अग्रिम शुल्क ले सकते हैं।